POR Cases
Disposal time Schedule

मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग मंत्रालय

वल्लभ भवन , भोपाल

पृ.क्रं.- 160	
पिछला	अगला

क्रमांक /10–10/2010/ / भोपाल , दिनांक

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,(क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी)

समस्त वन संरक्षक /वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)

समस्त क्षेत्र संचालक (वन्य प्राणी)

मध्यप्रदेश

--''--

विषयः– **वन अपराध प्रकरणों में कार्यवाही हेतु समय सीमा का निर्धारण एवं गम्भीर वन अपराध प्रकरणों में पुलिस में एफ आई आर दर्ज कराने बाबत् ।**

भारतीय वन अधिनियम 1927, मध्यप्रदेश वन्य प्राणी अधिनियम 1972, मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) नियम 1969, काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के अंतर्गत पंजीबद्ध वन अपराधों की जॉच एवं प्रशमन की समय सीमा एवं प्रकिया निर्धारित करने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

- संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील बीट में अवैध कटाई राशि रू. 10.00 लाख से अधिक अवैध उत्खनन में खनिज चोरी राशि रू. 10.00 लाख एवं सामान्य बीट में अवैध कटाई एवं अवैध उत्खनन में खनिज चोरी राशि रू. 05.00 लाख से अधिक, अतिकमण 05 हैक्टेयर से अधिक के मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा अपराधिक प्रकरण की एफ.आई.आर. संबंधित थाने में दर्ज करावे । प्रत्येक तरह के प्रकरण की राशि का निर्धारण सम्बंधित वन मण्डलाधिकारी करेंगे । जिसकी समीक्षा मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक वृत्त कर सकेंगे। इसी प्रकार वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों में उपरोक्त अपराधों में कार्यवाही की जावे ।
- वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1, 2 एव 3 में उल्लेखित वन्य प्राणियों के शिकार, प्रकरण जिनमें चाहे अपराधी ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो में एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की जावें ।
- भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 468 के अनुसार वन अपराध निम्नानुसार कालातीत हो जाते हैं। भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम 02 वर्ष मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) के अंतर्गत 2 वर्ष वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत 3 6

वर्ष एवं मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के अंतर्गत 1 वर्ष की अधिकतम सजा प्रावधान है। इस प्रकार भारतीय वन अधिनियम एवं मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरण 1 वर्ष के अंदर कालातीत होते हैं एव मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियम) अधिनियम एवं वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराध 3 वर्ष में कालातीत हो जाते हैं, इसलिये यह अनिवार्य है कि इस समय सीमा के अंदर या तो प्रकरण का प्रशमन पूर्ण हो जाये अन्यथा प्रकरण को अभियोजन हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।

- **कालातीत प्रकरण :–** ऐसे वन अपराध प्रकरण जिसमें निर्धारित समय सीमा में प्रशमन/न्यायालयीन कार्यवाही न होने के कारण कालातीत होते हैं। हानि की राशि उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से 03 माह में वसूलने की कार्यवाही/अनुशासनात्मक कार्यवाही वन मण्डलाधिकारी द्वारा की जावे ।
- वन भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरणों में जॉच पूर्ण होने/न्यायालय में प्रस्तुत करने के 01 माह की अवधि में संबंधित वन मण्डलाधिकारी द्वारा नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावे ।
- समस्त वन अपराध प्रकरणों का अंतिम रूप से विभागीय निराकरण/न्यायालयीन चालान अधिक से अधिक 06 माह में किया जावे। समय सारणी नीचे लिखे अनुसार निर्धारित है

क.	कार्य	समय सीमा	कार्य संपादित करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी
1	वन अपराध पंजीबद्ध करना तथा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देना	48 घण्टे	बीट गार्ड
2	वन अपराध प्रकरण जॉच हेतु परिक्षेत्र सहायक को देना	15 दिवस	वन परिक्षेत्र अधिकारी
3	वन अपराध प्रकरण प्राप्त होने पर जॉच कर जॉच प्रतिवेदन परिक्षेत्र में जमा करना	02 माह	परिक्षेत्र सहायक
4	जॉच उपरांत प्रकरण प्राप्त होने के बाद प्रकरण उपवनमण्डलाधिकारी अथवा वन मण्डलाधिकारी को (जो प्रकरण को प्रशमन करने हेतु सक्षम हों) भेजेंगे।	15 दिवस	वन परिक्षेत्र अधिकारी

5	वन अपराध प्रकरण को प्रश्मन उपरांत परिक्षेत्र अधिकारी को वापस भेजना	01 माह	उपवनमण्डलाधिकारी / वन मण्डलाधिकारी
6	प्रश्मन उपरांत महसूल, मुआवजा वसूली की कार्यवाही पूर्ण करना	01 माह	वन परिक्षेत्र अधिकारी
7	वसूली उपरांत प्रकरण अंतिम आदेश हेतु उपवनमण्डलाधिकारी / वनमण्डलाधिकारी को भेजना	15 दिवस	वन परिक्षेत्र अधिकारी
8	वन अपराध प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर प्रकरण परिक्षेत्र अधिकारी को वापस भेजना	15 दिवस	उपवनमण्डलाधिकारी / वनमण्डलाधिकरी
9	ऐसे समस्त वन अपराध प्रकरण जिनमें न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाना है	06 माह अधिकतम	वन परिक्षेत्र अधिकारी / वन मण्डलाधिकारी

- भारतीय वन अधिनियम, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम एवं तेंदूपत्ता से संबंधः अपराधों का चालान अपराध पंजीबद्ध होने की दिनांक से अधिकतम 01 वर्ष के अंदर किया जाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश वनोपज विनियमन अधिनियम 1969 तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने हेतु अधिकतम समय सीमा 03 वर्ष तक है। परिक्षेत्र अधिकारी से ऐसे प्रकरणों की सूची प्राप्त होने पर वनमण्डलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा स्वतः करेंगे एवं चालान दायर करने से पूर्व यह संतुष्टि कर ली जावेगी कि प्रकरण में अपराध सिद्ध करने के लिये आवश्यक प्रमाण उपलब्ध हैं या नहीं। अतः ऐसे समस्त प्रकरणों में 06 माह में न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही करेंगे। समस्त वन अपराधों में प्रश्मन / न्यायालयीन कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में प्रावधानित अधिनियम, नियम एवं प्रक्रिया अनुसार पूर्ण की जावे।

(व्ही0एन0पाण्डे)

सचिव, वन विभाग

म0प्र0 शासन